**राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2015 ग्राम पंचायत भीम**
**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम**
**(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)**
**कैम्प कोर्ट का स्थान :– ग्राम पंचायत भीम**

प्रकरण सं. – **76/2013** रे0वा0

निर्णय दिनाक – 03.07.2015

**अनवान**

1. श्रीमति शान्तादेवी पुत्री कालूराम जाति सालवी निवासी रातडी पछोर पाटिया भीम तहसील भीम
2. श्री वन्नाराम पुत्री कालूराम जाति सालवी निवासी रातडी पछोर पाटिया भीम तहसील भीम
3. श्री नारायणलाल पुत्री कालूराम जाति सालवी निवासी रातडी पछोर पाटिया भीम तहसील भीम।

**वादी**

**बनाम**

1. श्री सायरी देवी पत्नि मिठुलाल पुत्री नाथूलाल जाति सालवी निवासी रातडी पाटिया भीम तहसील भीम
2. श्री पुष्कर पुत्री मिठुलाल जाति सालवी निवासी पाटिया भीम तहसील भीम
3. श्री दिलीप पुत्र मिठुलाल जाति सालवी निवासी पाटिया भीम तहसील भीम
4. श्री कमला पत्नि महेन्द्रकुमार पुत्र रामलाल जाति सालवी निवासी पाटिया भीम तहसील भीम
5. श्री मुकेश पुत्र महेन्द्रकुमार पुत्र रामलाल जाति सालवी निवासी पाटिया भीम तहसील भीम
6. श्री भरत पुत्र महेन्द्रकुमार पुत्र रामलाल जाति सालवी निवासी पाटिया भीम तहसील भीम
7. श्री जितेन्द्र पुत्र महेन्द्रकुमार पुत्र रामलाल जाति सालवी निवासी पाटिया भीम तहसील भीम
8. श्री प्रहलाद पुत्र महेन्द्रकुमार पुत्र रामलाल पुत्र नाथुलाल जाति सालवी निवासी पाटिया भीम तहसील भीम
9. श्री दिनेश पुत्र महेन्द्रकुमार पुत्र रामलाल पुत्र नाथुलाल जाति सालवी निवासी पाटिया भीम तहसील भीम
10. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीम।

**प्रतिवादीगण**

## वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 183 आरटीए

यह कि मौजा नेडी पटवार मण्डल भीम तहसील भीम मे निम्न विवरण वाली आराजियात स्थित है:–

| वर्तमान खसरा | | 1350 फसली खसरा | |
|---|---|---|---|
| **खसरा नम्बर** | **रकबा** | **खसरा नम्बर** | **रकबा** |
| 14940 | 01.18.00 | 11972 | 01.13.00 |

यह कि उक्त वादपत्र में वर्णित आराजियात को तत्कालीन खातेदार काश्तकार नाथू पुत्र तेजा जो कि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 के पूर्वज है उन्होने उनकी आवश्यकता खास की वजह से दिनांक 13.12.1967 को उक्त आराजी में से उनका हिस्सा जो कि माफिक हस्ब खेवट खतौनी के अनुसार 1/2 हिस्सा बनता था उसे नाथू पुत्र तेजा ने मुबलिग 100/– सौ रू उदा पुत्र श्री तेजा को जरिये पंजिकृत बयनामें के बेचान कर उक्त आराजियात का कब्जा भी तत्कालीन क्रेता उदा पुत्र तेजा को सुपुर्द कर दिया था तथा उक्त बेचान बाबत् नाथू पुत्र तेजा ने उसी दिन 13.12.1967 को उप पंजियन कार्यालय भीम में उपस्थित होकर एक बयनामा उदा पुत्र तेजा के पक्ष में पंजिकृत कराया था।

उदा पुत्र तेजा जो कि तत्कालिन क्रेता है तथा हम वादीगणो के पूर्वज है जिन्होनें उक्त भूमि को जरिये पंजीकृत बयनामे द्वारा खरीदने के बाद मौके पर कब्जा प्राप्त कर काश्त करने व कराने लगे तथा उन्होंने उक्त भूमि पर काफी रूपया खर्च कर भूमि को काफी उन्नत भी बनाया तथा उदा पुत्र तेजा के फौत होने के बाद उक्त भूमि हमें उत्तराधिकार में प्राप्त होकर उक्त भूमि पर हम वादीगण ही काबिज होकर काश्त करते कराते आ रहे है।

यह कि उदा पुत्र तेजा जो कम पढा लिखा व्यक्ति होकर उक्त आराजी को नाथू पुत्र तेजा से पंजिकृत बयनामें द्वारा खरीदने के बाद उक्त पंजिकृत बयनामे की एक प्रति तत्कालीन पटवार हल्का को दे दी व उक्त आराजी का नामान्तकरण स्वयं के नाम दर्ज कराने बाबत कहा तो तत्कालीन पटवार हल्का ने उक्त बयनामें के आधार पर उक्त नामान्तकरण उदा पुत्र तेजा के नाम दर्ज करने का आश्वासन देने से उदा पुत्र तेजा आज दिन तक उक्त भूमि को स्वयं के नाम पर आ जाना मानकर बतौर मालिक काबिज होकर काश्त करता व कराता आ रहा था तथा उनके फौत होने के बाद उनका पुत्र कालू पुत्र उदा उनके फौत होने के बाद हम वादीगण उनके वारिस से उक्त भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार शान्तिपूर्वक काश्त करते–कराते आ रहे है।

यह कि वादपत्र में वर्णित आराजियात को हम वादीगणों के पूर्वज उदा पुत्र तेजा ने तत्कालीन विक्रेता खातेदार काश्तकार से जरिये पंजिकृत बयनामा दिनांक 13.12.1967 को क्रय कर मौके पर कब्जा प्राप्त कर वे स्वयं काश्त करते कराते आ रहे थें तथा उनके फौत होने के बाद हम वादीगण उक्त क्रयशुदा आराजियात पर काबिज होकर निर्बाध व शान्तिपूर्वक काश्त करते–कराते आ रहे है। इसलिये उक्त बयनामें के आधार पर हम वादीगण स्वयं को उक्त आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक हो गया है तथा उक्त आराजी के क्रयशुदा हिस्से पर उदा पुत्र तेजा द्वारा सन् 1967से तथा उनके फौत होने के बाद हम सभी आज दिन तक कुलिया 45 वर्षो तक निर्बाध रूप से उक्त क्रयशुदा भूमि का उपयोग–उपभोग करते आ रहे है इसलिये प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी हम वादीगण उक्त क्रयशुदा आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायालय में लम्बित होकर **राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प भीम** मे पेश हुआ। प्रतिवादी को सूचना दिये जाने के बावजूद भी अनुपस्थित रहे अतः वादी का वादपत्र एकतरफा कार्यवाही करते हुए डिग्री किया जाता है कि वादपत्र में वर्णित आराजियात में से 1/2 हिस्सा नाथु पुत्र तेजा बलाई द्वारा 23.12.1967 को उक्त पुत्र तेजा द्वारा जरिये पंजीकृत बयनामे द्वारा क्रय किये जाने से नाथु पिता तेजा के वारिसानो के नाम हटाकर वादीगणो के नाम दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। निर्णय की पालना में तहसीलदार भीम को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

पीठासीन अधिकारी

Scanned by CamScanner